

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 4(94)नविवि / 2024

जयपुर, दिनांक:

—:आदेश:—

राजस्थान अभियान्त्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 (उक्त नियमों को नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर आज्ञा दिनांक प. 1(1)नविआ/II/1981 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियम 24-ए के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.11.2024 की अभिशंभानुसार निम्नांकित कनिष्ठ अभियन्ता(डिग्रीधारी) को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सहायक अभियन्ता के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल-14 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	वर्ग	चयन वर्ष	रिक्त दिनांक
1.	श्री राहुल जैन		2022-2023	01.04.2022
2.	श्री कमलेश मंगल		2022-2023	01.04.2022
3.	श्री नवनीत कुमार		2023-2024	06.10.2023
4.	श्री सुरेन्द्र विश्‍नोई		2023-2024	06.10.2023
5.	श्री देवेन्द्र कुमार		2023-2024	06.10.2023
6.	श्री ओम प्रकाश कुमावत		2023-2024	06.10.2023
7.	श्री प्रदीप राजपूत		2023-2024	06.10.2023
8.	श्री लोकेश दुल्लड		2023-2024	06.10.2023
9.	श्री पवन कुमार जीनगर	SC	2023-2024	06.10.2023
10.	श्री प्रवीण कुमार		2024-2025	01.04.2024

उपरोक्त अभियन्ताओं की पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उक्त अभियन्ता अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश कुमार- I)

शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त/सचिव समस्त न्यास/प्राधिकरण को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
5. संबंधित अधिकारीगणों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

शासन उप सचिव-तृतीय